समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर (म.प्र.)

247

पुनरीक्षणकर्त्तागणः-1. श्रीराम पिता दुल्ली उर्फ गुलाब उम्र अंदा0 48 साल जाति गोंड

निगरानी 1311-I-15

2. मीरीराम पिता दुल्ली उर्फ गुलाब उम्र अंदा0 42 साल जाति गोंड

दोनो निवासी मरजातपुर तह0बिछुआ तह0बिछुआ जिला छिंदवाडा म.प्र.

(504)

आलोक नापक ... रीडर 12 MAY 2015 ... कार्यालय ...

विरूद्ध

उत्तरवादी/ अनावेदक :- 1. यशोदाबाई पति दुल्ले उम्र अं055 साल जाति गोड
निवासी मरजातपुर तह0बिछुआ
तह0बिछुआ जिला छिंदवाडा म.प्र.

23-5-15

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं.1959 वास्ते राजस्व प्रकरण क0 196/ अ - 27 / 2013-14 मे न्यायालय तहसीलदार बिछुआ द्वारा दिनांक 15/04/2015 को पारित आदेश के विरूद्ध :-

पूनरीक्षणकर्त्तागण नियमानुसार पुनरीक्षण पेश करते है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

उत्तरवादी ने पुनरीक्षणकर्त्तागण के विरूद्ध तहसीलदार बिछुआ जिला छिंदवाडा के न्यायालय में मौजा मरजातपुर प0ह0न0 4 रा0नि0मं0 बिछुआ तह0बिछुआ जिला छिंदवाडा में स्थित ख0न0 69,123,125 रकबा क्रमशः 0.125,4.310,4.921 हे0 का कुल रकबा 9.356 हे0 कृषिभूमि का विभाजन आवेदन पेश किया है। जिसमें दिनांक 03/09/2014 को पुनरीक्षणकर्त्तागण द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 (1-ए) के तहत प्रकरण 03 (तीन माह) तक उक्त प्रकरण स्थगित रखने हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा विवादित कृषि भूमि केवल पुनरीक्षणकर्त्तागण के एकल स्वामित्व कि है, जिसमें उत्तरवादी का कोई हक नही हैं, इसलिये प्रकरण निरस्त कर एवं तीन माह तक स्थगित रखने का निवेदन किया । प्रकरण मे स्वत्व का प्रश्न निहित है। निम्न न्यायालय तह0 बिछुआ द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर ध्यान न देते हुए, गलत ढंग से एवं विधी विरूद्ध दिनांक 15/04/2015 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। इस आदेश से दुःखीत एवं पिंडित होकर पुनरीक्षणकर्त्तागण द्वारा यह पुनरीक्षण निम्न मुद्दो पर पेश करते है।

श्रीराम
मिरीराम

R- 1311-B/2015 (सिविल्यास)

केस ज्याकपुर

28.12.16 आवेदक की ओर से प्रकरण नियत पेश है। आवेदक को आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। प्रकरण अंतिम बहस हेतु स्थगित किया जाता है। [illegible]

पक्षकार सूचित हों। अगली तारीख नियत किया जाता।

[illegible]